>

Title: Situation arising out of reluctance on part of state to implement Forest Right Act.

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): अध्यक्ष महोदय, इस पार्लियामेंट ने पूरे देश के आदिवासियों के लिए शैडयूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडीशनल फॉरेस्ट ड्वैलर्स(रिकॉगनिशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स) एक्ट पास किया है और उसके नियम भी जनवरी से अमल के अंदर आए हैं। इससे बड़ी गंभीर परिस्थिति कई राज्यों के अंदर पैदा हुई हैं जिसके कारण राज्य सरकारें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आदिवासियों के बीच में घर्षण की परिस्थिति पैदा हुई है। इन नियमों को तथा कानून को जिस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, उस तरीके से कानून का पालन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से कहीं पर जो आदिवासी लोग जमीनें जोतते थे और जो दूसरे ट्रेडीशनल लोग जमीनें जोतते हैं, उनको जोर-जबर्दस्ती वहां से हटाया जा रहा है। अभी एक-दो राज्य के अंदर और मेरे खुद के राज्य के अंदर फायरिंग का इंसीडेंट बना जिसके अंदर दो आदिवासी लोग मारे गये हैं और एक को जो लीडरशिप थी, उसको पकड़कर मारा गया, जिसके चलते पूरी परिस्थिति ऐसी पैदा हुई जिससे पूरे राज्य सरकार के पास, जिन लोगों को जमीन देने के हकदार होने के बावजूद भी उनको जमीन नहीं दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति सभी जगह होती जा रही है। मेरी 2-3 मांगें हैं। एक तो यह है कि ट्राइबल डेवलेपमेंट मिनिस्ट्री इसकी गाईडलाईन्स तुंत राज्य सरकारों को भेजे ताकि उन्हें मालूम हो कि उनका क्या रोल है। दूसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसके पास नोडल ट्राइबल डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन अभी तक फॉरेस्ट जमीन देने का पूरा काम है, किस तरह से लोगों को न जमीन दी जाऐ या कम से कम अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस राइट्स कम से कम मिलें, अगर ऐसा एटीट्यूड है तो उसे नाबूद किया जाये। तीसरा, इस फायरिंग में जहां जहां ट्राइबल लोग मरे हैं या पुलिस ने मारे हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से कोई मुआवज़ा नहीं मिला है। मेरी विनती है कि राज्य सरकारों को इस बात के लिये कम्पैल किया जाये कि ऐसे लोगें को मुआवजा देने का प्रावधान किया जाये। एस.टी. कमीशन ऐसे स्थलों का निरीक्षण करे और उसकी रिपोर्ट दे। यदि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है तो केन्द्र सरकार वह पैसा मुहैय्या कराये। इस सारे इश्यू को मानवीय रूप से देखते हुये पूरे देश के अंदर वन टाइम सैटलमेंट जमीन का फॉरेस्ट राइट्स पर किया जाये क्योंकि ऐसा न होने से आदिवासी इलाकों में नक्सल मूवमेंट और वायलैंस मूवमेंट हो रहा है। जमीन देने से न ऐसी कोई आग फैलेगी और न ही इंनिसिएशन मिलेगा। इससे हमारे देश में हिंसा कम होगी। मेरा निवेदन है कि समाज और देश के इस गरीब तबके को दूसरे तबकों के साथ लिया जाये।

MR. SPEAKER: Those hon. Members, who wish to associate, may send their names.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, श्री मिस्त्री जी द्वारा उठाये गये मुद्दे से मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।